प्रश्नोतर से संबंधित परिशिशट

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 275 परिशिष्ट एक

परिशिष्ट - एक [3/8/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 275]

मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1998

(2) ऐसे प्रकरणों में जहाँ पदोन्नति के पूर्व एवं पदोन्नति के पश्चात् के विद्यमान वेतनमान पृथक्
थे तथा ऐसे दोनों विद्यमान वेतनमानों का पुनरीक्षित वेतनमान एक ही नियत किया गया है वहां पदोन्नति
पात् के विद्यमान वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवक को इन नियमों के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान में
ये 250 प्रतिमाह विशेष वेतन की पात्रता होगी।

[1][(3) उच्चतर वेतनमान के उच्चतर पद में सरकारी सेवक के पदोन्नत होने की दशा में वेतन
निर्धारण के प्रयोजन के लिये विशेष वेतन को वेतन का भाग समझा जाएगा।

11. वेतन के बकाया का भुगतान.— इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप
पुनरीक्षित वेतन का दिनांक 1 जनवरी, 98 से (अर्थात् फरवरी 98 में देय माह जनवरी 98 का वेतन) नकद
भुगतान किया जायेगा। दिनांक 1-1-96 से या आगामी या पश्चात्वर्ती वेतन वृद्धि की तारीख से निर्धारित
वेतन पर देय कुल परिलब्धियों एवं विद्यमान वेतन पर प्राप्त कुल परिलब्धियों के दिनांक से 31-12-97 तक
के अंतर की बकाया राशि एक पृथक् खाते, जिसका ब्यौरा राज्य शासन द्वारा पृथक् से जारी किया जायेगा में
रखी जाएगी, जिस पर कर्मचारियों को भविष्य निधि के समान ब्याज देय होगा इस राशि को 31-12-2002
को संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कर दिया जाएगा :

परन्तु उक्त दिनांक के पूर्व सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/मृत्यु होने की स्थिति में इस खाते से तब तक
की देय राशि संबंधित कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में तत्समय अन्तरित कर दी जाएगी :

परन्तु यह और भी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी 1-1-96 के पश्चात् तथा वेतन निर्धारण के दिनांक के
पूर्व सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति/मृत्यु हुई है और सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान भी किया गया है
तो ऐसी स्थिति में बकाया राशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

12. विद्यमान वेतनमान देने के लिये लगायी गई शर्तें.— जिन विद्यमान वेतनमानों के विषय
में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 1990 एवं तत्पश्चात् के शासकीय आदेशों के अंतर्गत एक निर्धारित
समय सीमा पश्चात् अथवा अन्य किन्हीं विशिष्ट शर्तों के अध्यधीन रहते हुये वेतनमान देने की शर्त लगायी
गई थी वह पुनरीक्षित वेतनमानों के संबंध में यथावत रहेगी।

13. नियमों का अध्यारोही प्रभाव.— उन मामलों में जहाँ वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता
है, वहाँ मूल नियम तथा किन्हीं अन्य नियमों के उपबंध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि वे इन
नियमों से असंगत हों।

उपाबंध-दो

(नियम 4 देखिए)

भाग-क

विभिन्न विभागों में सामान्य पद जिनके कि विद्यमान वेतनमान तथा
पुनरीक्षित वेतनमान दर्शाये गये हैं.

अनुक्रमांक	पद का नाम	विद्यमान वेतनमान (रुपयों में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रुपयों में)	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	शीघ्रलेखक ग्रेड-दो	1500-2680		
	निज सहायक	1500-2710 (1-4-87)	1640-2900	
	स्टेनोटाइपिस्ट	870-1420 + रु. 40 वि.वे.	950-1530 + [125][1] वि.वे.	

टिप्पणी :- शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन के पदों के 33 प्रतिशत पद स्टेनोटाइपिस्ट के पद से पदोन्नति के लिये उपलब्ध रहेंगे और इस प्रयोजन के लिये अर्हताएं तथा चयन प्रक्रिया वही होगी जो कि शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन के पद पर सीधी भर्ती के लिये अधिकथित की गई हैं।

2.	लेखापाल	1200-1800	(एक) 1200-2040 (अप्रशिक्षित के लिये)	
		....	(दो) 1320-2040 (प्रशिक्षित के लिये)	

1. रु. 75/- के स्थान पर रु. 125/- किया गया। विवि. क्रमांक 383/109/97/सी/चार, दिनांक 6-3-97। यह वृद्धि 1-4-97 से प्रभावशील।

अनुभाग अधिकारी
वित्त विभाग (नियम शाखा)